डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याः सम्बद्धन/ 1740(18) /2015
दिनांक ..15-5-2015

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
दिग्विजय सिंह डिग्री कालेज, श्यामपुर, भटपुरा, मैनपुरी।

विषयः- **बी0एड0 पाठ्यक्रम में एन0सी0टी0ई0 रेगूलेशन 2014 के अर्न्तगत द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-सम्ब0 158/सत्तर-2-2014-2(158)/2014 दिनांक 07 मई, 2014 के द्वारा **दिग्विजय सिंह डिग्री कालेज, श्यामपुर, भटपुरा, मैनपुरी** को शिक्षा संकाय स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनार्न्तगत दिनांक 01.07.2014 से एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान किया जाना सूचित किया गया था।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार **दिग्विजय सिंह डिग्री कालेज, श्यामपुर, भटपुरा, मैनपुरी** को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अर्न्तगत बी0एड0 पाठ्यक्रम मे 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजनार्न्तगत दिनांक 01.07.2015 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं :-

(1) महाविद्यालय में विद्यमान कमियों (यथा कर्मचारियों एवं पुस्तकालाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रमाण संलग्न नही हैं) का निराकरण सम्बद्धता जारी होने की तिथि से एक माह में महाविद्यालय पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करेगा। ऐसा न करने पर महाविद्यालय का अगले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) संस्था/ महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेंगी/करेगा।

(3) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार शैक्षिक सत्र 2015-16 में होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यार्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन पाठन कराया जायेगा।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तें एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(5) संस्था/महाविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित समस्त मानक एवं प्रवेश तथा परीक्षाओं आदि से सम्बंन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

(6) संस्था द्वारा रिट याचिका संख्या 61859/2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बंन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30.04.2013 का अनुमालन महाविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचनाकूटरचित असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नही दी जा सकती थी तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तर दायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

(8) सत्र 2015-16 के लिए महाविद्यालय को एन0सी0टी0ई0 के द्वारा एन0सी0टी0ई0 रेगूलेशन 2014 के अर्न्तगत द्विवर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, परन्तु महाविद्यालय के लिए प्रतिबन्ध यह रहेगा कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भूमि सम्बन्धी मानक पर कोई निर्णय लिया जाता है तो शासनादेश महाविद्यालय पर पूर्णतया अनिवार्य रूप से लागू होगा एवं उसका अनुपालन महाविद्यालय को प्रदान किये गये सत्र से पहले पूर्ण किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में उसकी सम्बद्धता निरस्त मानी जायेगी।

(9) संस्था द्वारा एन0सी0टी0ई0 एवं विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम के शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु अर्ह शिक्षकों की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। शिक्षण सत्र के दौरान आकस्मिक निरीक्षण के समय शिक्षकों की उपलब्धता एवं अन्य मानक पूर्ण न होने की स्थिति में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही है।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, दिग्विजय सिंह डिग्री कालेज, श्यामपुर, भटपुरा, मैनपुरी।
6. विश्वविद्यालय बेवसाईट प्रभारी को बेवसाइट पर दर्शाने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव सम्बद्धन विभाग/परीक्षा विभाग।
9. प्रभारी कुलसचिव कार्यालय।

कुलसचिव